टिप्पणी

12

सार्वजनिक कानून या जन-कानून और निजी कानून

किसी भी कानूनी व्यवस्था में विधिशास्त्रीय सिद्धांतों की उत्पत्ति अधिकारों के परिप्रेक्ष में होती है और कानून समादेश के रूप में व्यक्तियों के बीच के संबंध तथा व्यक्ति और सरकार के बीच के संबंध को विनियमित करता है। जन कानून के अधिकार क्षेत्र से भिन्न संविदा और दायित्वों का निजी कानून, सामाजिक आर्थिक परिस्थितयों को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ''हॉलेंड ऑन ज्यूरिसप्रूडैंट'' के परिचय में एन.आर. माधव मेनन ने कहा है कि हॉलेंड के अनुसार, निजी कानून के क्षेत्र में राज्य की उपस्थिति केवल नागरिकों के बीच विद्यमान अधिकारों और दायित्वों के मध्यस्थ के रूप में है। जन-कानून में, राज्य न केवल एक मध्यस्थ है बल्कि एक हितधारी पक्ष भी है। जिन अधिकारों और दायित्वों के संबंध में वह कार्य करता है, वह स्वयं भी उसका भाग है और दूसरी ओर उसका विषय भी है और यह संघ न्यायाधीश के गुणा के रूप में एक व्यक्ति है और पार्टी ने उस विचार को उत्पन्न किया है कि राज्य (स्वायत्त) का उचित रूप से, न केवल कोई दायित्व नहीं है बल्कि उसके कोई अधिकार भी नहीं हैं। दो व्यक्तियों में से जो प्रत्येक अधिकार के निर्माण तत्व हैं, एक सदैव 'राज्य' होगा, जो अपनी कार्य व्यवस्थाओं के माधयम से कार्य करेगा। निजी कानून का निरंतर सृजन हो रहा है और प्रौद्योगिकी के विकास में सार्वजनिक तथा निजी दोनों कानूनों के बीच अवधारणा तथा विशिष्टताओं के नए आयाम शामिल किए हैं। आज कल सार्वजनिक निजी वर्गीकरण का विखंडन हो रहा है और सभी विवादों में मध्यस्थ के रूप में राज्य की उपस्थिति के सिद्धांत पर प्रश्न उठ रहे हैं। यद्यपि, आज अनेक विवाद राज्य तथा उसके कार्यात्मक भागों के विरूद्ध हैं। 'स्वतंत्र न्यायपालिका' विधि के नियम का मुख्य तत्व बन गया है जिसमें प्रभुसत्ता-संपन्न राज्य के दृष्टिकोण से न्यायशास्त्र को मूल रूप से पुन: लिखे जाने की आवश्यकता उत्पन्न की है।

उद्देश्य

पाठ के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे :

- जन-कानून या सार्वजनिक कानून के अर्थ और प्रकृति का वर्णन कर पाएंगे;
- संवैधानिक कानून की अवधारणा पर चर्चा कर पाएंगे;

- प्रशासनिक कानून की अवधारणा पर चर्चा कर पाएंगे;
- आपराधिक कानून को परिभाषित कर पाएंगे;
- निजी कानून के अर्थ और प्रकृति का वर्णन कर पाएंगे;
- सार्वजनिक और निजी कानून के बीच के अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे; एवं
- कानून को आकार प्रदान करने में न्यायाधीश की भूमिका पर चर्चा कर पाएंगे।

12.1 जन कानून का अर्थ और प्रकृति

जन कानून विधि का वह भाग है जो राज्य (सरकार/सरकारी एजेंसियों) और उसके विषय के बीच के संबंधों तथा समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के बीच के संबंधों को भी शासित करता है। लॉगलिंग के अनुसार :

''लोक कानून राजनैतिक न्यायशास्त्र का एक रूप है जो न्याय और अच्छाई के लोकोत्तर तथा आधयात्मिक विचारों को शामिल नहीं करता है : यह आचरण की केवल उन्हीं अवधारणाओं से संबंधित है जो एक स्वायत्त निकाय के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने की राजनीतिक पद्धति के माधयम से उत्पन्न हुई है।''

लोक कानून या जन-कानून व्यापक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समस्याओं का निपटान करता है और इसमें निम्नलिखित शीर्ष शामिल हैं : संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, आपराधिक कानून तथा आपराधिक प्रक्रिया, राष्ट्र का कानून जिसे अर्ध निजी कानून के गुण देखा गया है, राष्ट्र से संबंधित प्रक्रिया जैसा समझा गया है और न्यायाधीश निर्मित कानून।

12.1.1 संवैधानिक कानून

संवैधानिक कानून का प्राथमिक कार्य एक राष्ट्र की कार्यप्रणाली में कानून की सर्वोच्चता के अभिधारण के लिए किसी प्रस्तुत राज्य की राजनयिक केन्द्रित गहनता को सुनिश्चित करना है। भारत में, संविधान, भारत को संघ और राज्यों में सरकार के संसदीय रूप के साथ एक संघीय प्रणाली सहित संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्यय एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में स्थापित करता है : यह सरकार की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और दायित्वों को भी स्थापित करता है और मौलिक मानव अधिकारों को भी निर्धारित करता है जो मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में राष्ट्र के शासन में विद्यमान हैं।

संवैधानिक कानून, लोक कानून या जन-कानून की एक शाखा है। यह राष्ट्र के राजनीतिक संगठन और उसकी शक्तियों का निर्धारण करता है और शासन की शक्तियों कर प्रयोग में कतिपय वास्तविक और प्रक्रियात्मक सीमाओं को भी स्थापित करता है। संवैधानिक कानून में उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लिखित अनुसार अभिलेख पर आधारित कानून के मौलिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग शामिल है। सेल्मंड के शब्दों में, संवैधानिक कानून उन विधिक सिद्धांतों का निकाय है जो राज्य के संविधान का निर्धारण करते हैं - अर्थात जो राष्ट्र के संगठन के अनिवार्य तथा मौलिक अंगों का निर्धारण करता है।

12.1.2 प्रशासनिक कानून

हॉलैंड के अनुसार, 'प्रशासनिक कानून' संविधान द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न शक्ति की गतिविधियों के तरीके या विभिन्न अंगों के लिए प्रावधान करता है। इस अर्थ में, प्रशासन की परिभाषा है, विशिष्ट मामलों में राष्ट्र की समग्र स्थूल तथा बहु-परिवर्तनशील गतिविधियों के रूप में संविधान की सीमाओं के भीतर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग, प्रभुसत्ता सम्पन्न शक्तिके कार्यों, या क्रियाओं के रूप में। उचित रूप से यह कहा जा सकता है कि इसमें कानूनों का निर्माण और प्रवर्तन शामिल है; अपने विदेशी संबंधों में राष्ट्र के मार्गदर्शन में सरकार की क्रियाय न्याय का प्रवर्तनय राष्ट्र की सम्पत्ति और व्यापार संव्यवहारों का प्रबंधनय और विवेक की कतिपय मात्रा प्रदान करके अधीनस्थों के माधयम से कार्यप्रणाली, जिसके द्वारा राष्ट्र अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए तथा सामान्य कल्याण के लिए तत्काल प्रावधान करता है। यह राजस्व के आंकड़ों के एकत्रण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विनिर्माण, प्रदूषण, कर-निर्धारण और इसी प्रकार के विषयों पर कार्य करता है। यह कई बार नागरिक कानूनकी उप-श्रेणी के रूप में नजर आता है और कई बार लोक कानून के रूप में क्योंकि यह विनियमन और सार्वजनिक संस्थानों पर कार्य करता है। प्रशासनिक कानून सरकार की कार्यपालक पीठ द्वारा लागू किया जाता है न कि न्यायिक या विधायी पीठों द्वारा (यदि ये उस विशिष्ट नयायाधिकार में भिन्न हैं)। प्रशासनिक कानून विधि का वह निकाय है जिसका सृजन प्रशासनिक एजेंसियों ने विनियमों, आदेशों और निर्णयों के रूप में किया है।

12.1.3 आपराधिक कानून

राज्य के कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य वह है जिसका वह व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभिभावक के रूप में निर्वाहन करता है। स्वयं की सभी क्षतियों, और नियमों की सभी अवज्ञाओं का निवारण करना तथा दंड देना जिन कानूनों या नियमों को उसने सामान्य कल्याण के लिए बनाया है। इस संबंध में अपने अधिकारों की परिधि को परिभाषित करने में, राज्य सामान्यत: अनेक अधिनियमों द्वारा चलता है। विधि की वह शाखा जिसमें इस विषय पर नियम समाविष्ट हैं, उन्हें तद्नुसार आपराधिक कानून, के रूप में वर्णित किया गया है (हॉलैंड)। आपराधिक कानून, राज्य, समुदाय तथा जनसाधारण के विरूद्ध गलत कृत्यों को निर्धारित करता है। विशेषणात्मक आपराधिक कानून, पीनल प्रक्रिया, अनुदेश क्रिमिनले, नियमों का समूह हैं जिसके द्वारा अपराधियों को दंड देने के लिए न्यायालयों के तंत्र को चलाया जाता है।

आपराधिक कानून अपराध, अभियोजन तथा अपराधियों के दंडात्मक उपचार की परिभाषा से संबंधित है। हालांकि, एक आपराधिक कृत्य कुछ व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है किन्तु अपराधों को राज्य या ''उसके लोगों'' के विरूद्ध अपराध माना जाता है। एक अपराध ''सार्वजनिक अपराध'' है न कि ''व्यक्तिगत'' या ''निजी''। वह केवल राज्य है जो अपराधी के विरूद्ध कार्रवाई करेगा न कि वह व्यक्ति जिसे हानि पहुंची है।

पाठगत प्रश्न 12.1

1. आप आपराधिक कानून को परिभाषित कैसे करेंगे?
2. प्रशासनिक कानून से आप क्या समझते हैं?

टिप्पणी

12.2 निजी या व्यक्तिगत कानून का अर्थ और प्रकृति

निजी कानून व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ संबंध या नागरिकों और कंपनियों के बीच निजी संबंधों से संबंधित है जो कि लोक महत्व के नहीं हैं। निजी कानून के मामले में राज्य की भूमिका केवल संगत कानून को पहचानना और उसे लागू करना, अपने न्यायिक निकायों के माधयम से उनके बीच के विवादित मुद्दों का निर्णय करने की है। हॉलैंड के अनुसार निजी कानून वस्तुनिष्ट है और व्यक्तियों के अधिकारों को परिभाषित करता है या यह गुणात्मक रूप में हो सकता है जो उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके माधयम से अधिकारों को लागू कराया या संरक्षित रखा जाता है।

12.2.1 निजी मौलिक कानून

नीजी कानून का अध्ययन विभिन्न प्रजातियों के मौलिक कानून पर विचार करने से आरंभ होता है :

1. सामान्य मौलिक अधिकार पूर्ववर्ती या आनुवांशिक अधिकार हैं - आनुवांशिक अधि कार सर्वबंधी या व्यक्ति बंधी हो सकते हैं। सर्वबंधी आनुवांशिक अधिकार वे अधि कार हैं जो किसी भी गलत कृत्य के होने के बावजूद, आकस्मिकता के व्यक्ति के प्रति समवाय के व्यक्ति के लाभ के लिए ऐसे असीमित रूप से ये अधिकार प्राप्त होंगे कि सम्पूर्ण विश्व को प्राप्त हैं। उदराहरण के लिए : व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ख्याति, आधिपत्य या स्वामित्व का अधिकार।

   व्यक्ति बंधी अधिकार वे अधिकार हैं जो एक विशिष्ट व्यक्ति के विरूद्ध प्राप्त होते हैं जो पक्षों के करार या कानून द्वारा प्रदान दायित्व के कारण उत्पन्न हुए हों। उदाहरण के लिए : परिवार के एक सदस्या के दूसरे के विरूद्ध अधिकार, कौशल के अभाव के लिए एक शैल्यचिकित्सक के विरूद्ध कार्रवाई के लिए व्यक्ति का अधिकार।

   उदाहरण : क नामक व्यक्ति के पास भूमि है। वह माली के साथ संविदा करता है जो एक वर्ष के लिए उसकी भूमि का अनुरक्षण करेगा। उसकी सामान्य ड्यूटी पूरे विश्व के ऊपर है कि कि वह क की भूमि में किसी को प्रवेश नहीं करने देगा। तथापि, माली की सम्पूर्ण विश्व के ऊपर अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त क के प्रति विशेष ड्यूटी भी है।

   सामान्य मौलिक अधिकार भी उपचारात्मक हो सकते हैं - इस अधिकार का उद्देश्य प्रत्यर्पण या क्षतिपूर्ति हो सकता है। उपचारात्मक अधिकार गलत करने वाले के विरूद्ध व्यक्तिबंध अधिकार है।

2. असामान्य पूर्ववर्ती या आनुवांशिक अधिकार : असामान्य साधारण या सामान्य मनुष्य (नाबालिक शिशु, उन्मादी दोषी) हो सकता है या कृत्रिम यथा मनुष्यों या व्यक्तियों की संपत्ति का समुह जिन्हें कानून द्वारा व्यक्तिगत मनुष्य (संगठन, फाउंडेशन, निगम) माना गया है।

12.2.2 निजी गुणात्मक कानून

मौलिक कानून राज्य को अर्ध-निजी कानूनी गुणों के रूप में प्रभावित करता है, वह गुणात्मक या विशेषणात्मक कानूनों के निकाय द्वारा अनुपूरक है, जो उस माधयम को निर्धारित करता है

जिसमें राज्य एक व्यक्तित्व के रूप में मुकदमा कर सकता है या उसके विरूद्ध मुकदमा किया जा सकता है। गुणात्मक कानून, मौलिक कानून के रूप में ही, सामान्य या असामान्य हो सकता है और कृत्रिम व्यक्तियों तथा प्रकृतिक व्यक्तियों की ऐसी विविधता जैसा की ऊपर इंगित किया गया है के संबंध में स्थिति मुकदमा करने या उसके विरूद्ध मुकदमा किए जाने के संदर्भ में भिन्न है जो साधारण व्यकितयों द्वारा प्राप्त है।

बर्नार्ड रड्डान के अनुसार निजी कानून व्यक्तियों के बीच के कानूनी संबंधों से सम्बन्धित है। यह विशुद्धस्थिति (विवाह, तलाक, रिश्तेदारी आदि); किसी प्रकार की परिसंपत्ति के मामलों (संपत्ति, उत्तराधिकार, संविदाओं) य तथा व्यापक अर्थ में वाणिज्यिक गतिविधियों के मुद्दों को शामिल करता है। इसकी अनिवार्य विशेषता यह है कि यह भागीदारों को न्यायिक रूप से समान मानता है (लोक कानून के विपरीत जहां संबंध अधिक्रमिक होते हैं) ताकि एक व्यक्ति दूसरे को आदेश न दे सके, बशर्ते उसे किसी पूर्ववती संविदागत या पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया हो। इसकी अनिवार्य तकनीक यह है कि इसका अधिकतर भाग स्वत् बाध्यकारी नहीं है (वकीलों की भाषा में कानूनी अधिकार) किन्तु प्रारूपों का एक निश्चित सेट उपलबध कराकर, जिसे नागरिक चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, कानूनी संव्यवहार को लागू कर करता है। उदाहरण के लिए निर्वसियत का नियम तल कार्य करता है जब व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है। बिक्री, पट्टे, ऋण, साझेदारी और इसी प्रकारके मामलों पर नियम आदर्श के रूप में विद्यमान हैं जिन्हीं पूर्ण रूप से या संशोधनों सहित स्वीकार किया जा सकता है यदि पक्ष ऐसा करना चाहें। सतही स्तर पर और विशिष्ट रूप से विस्तृत नियमों में अनेक मदभेद होने के बावजूद, सिविल तथा सामान्य-कानून -प्रणाली दोनों में निजी कानून के समग्र ढांचे को साधारण रूप से रोग न्याय प्रणली से प्राप्त फार्मुले के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है : निजी कानून व्यक्तियों, संपतियों, दायित्वों तथा देनदादिओं से संबंधित है।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि नजी कानून में शामिल हैं - (i) दायित्वों का कानूनध संविदा का कानून (संविदा के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच के विधिक संबंधों को संगठित तथा विनियमित करता है) (ii) सिविल गलत कृत्यों का कानून (सिविल गलत कृत्यों संबंधी मुद्दों का निपटान तथा उपचार, जो संविदागत दायित्वों से उत्पन्न नहीं हुए हैं) (iii) सम्पत्ति का कानून (iv) उत्तराधिकार का कानून) (iv) पारिवारिक कानून - अपहरण और परस्त्रीगमन के विरूद्ध पारिवारिक अधिकार सम्बन्धी कानून।

पाठगत प्रश्न 12.2

1. सर्वबंधी आनुवांशिक अधिकार और व्यक्ति बंध पूर्ववती अधिकार में अंतर स्पष्ट करें।
2. निजी गुणात्मक या विशेषणात्मक कानून क्या है?

12.3 लोक कानून और निजी कानून में अंतर

निजी कानून के विपरीत लोक कानून की अवधारणा का निर्धारण करने के लिए, कानून प्राचीन समय के रोम में जाता है, जो उसे कहता है कि 'ad statum rei Romanae spectat,' 'in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus cnsistit' और तथ्यात्मक रूप से भी यह अपराध

के कानून को शामिल करता है। लोक तथा निजी कानून के अंतर का सिविल कानून परम्पराओं, सामान्य कानून वाले देशों में भी अनुसरण किया जाता था।

? क्या आप जानते है

लोक तथा निजी के बीच का अंतर विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक चर्चा का विषय है किन्तु यह कानूनी विधि को भी प्रभावित करता है। कानून के ऐस क्षेत्र हो सकते हैं जो लोक-कानून तथा निजी कानून के अंतर में उपयुक्त न होते हों। उदाहरण के लिए रोजकार कानून - रोजगार संविदा निजी कानून की प्रकृति में आता है और अन्य गतिविधियां, जहां रोजगार निरीक्षक कार्य स्थल की सुरक्षा की जांच करता है, वह लोक कानून में आता है।

12.3.1 लोक कानून तथा निजी कानून के बीच के अंतर को निर्धारित करने वाले सिद्धांत

लोक कानून तथा निजी कानून के बीच के अंतर की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है।

रोम के न्यायशास्त्री उल्पेन द्वारा विकसित **हित सिद्धांत (Interest theory) :** Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulaorum utilitatem. लोक कानून वह है जो रोम राज्य से संबंधित है, निजी कानून नागरिकों के हितों से संबंधित है। इस सिद्धांत का कमजोर बिंदु यह है कि लोक हित को किसी प्रकार परिभाषित किया जाए क्योंकि निजी कानून के अनेक विषय लोक हित को भी प्रभावित करते हैं।

अधीनता सिद्धांत भागीदारों के संबंधों के अनुसार अंतर निर्धारित करता है। लोक कानून उच्चतर-अधीनस्थ के संबंध पर आधारित है जबकि निजी कानून समन्वय के संबंध का सृजन करता है। इसलिए, लोक कानून एकपक्षीय बाध्यकारी विनियमों जैसे स्टेटस और प्रशासनिक अधिनियमों के लिए प्रतिष्ठित है और निजी कानून संविदाओं के लिए। यह सिद्धांत पिछली शताब्दी में इस विचारधारा के साथ विकसित हुआ था कि प्रशासन कार्यकारी प्रशासन तक सीमित है। यह स्पष्ट रूप से लोक सेवा प्रशासन के क्षत्र में संबंधों का उल्लेख करने में विफल रहा है। (रेने सीरडन एंड फ्रिट्स स्ट्रिंक, 2002)।

विषय सिद्धांत कानूनी संबंध में कानून के विषय की स्थिति से संबंधित हैं, जिसे अधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं। यदि वह स्वयं को एक विशिष्ट परिस्थिति में एक सार्वजनिक व्यक्ति (स्वायत्त प्राधिकार के धारक जैसे राज्य या नगरपालिका) पाता है तो, लोक कानून लागू होता है, अन्यथा निजी कानून प्रत्येक व्यक्ति को प्राधिकृत या अनुग्रहित करता है।

उपर्युक्त सिद्धांतों का संयोजन कार्यशील स्थिति उपलब्ध कराता है। इस परिदृश्य के अंतर्गत कानून के क्षेत्र को लोक कानून या निजी कानून सार्वजनिक हित, शक्ति के पृष्ठांकन तथा राज्य के संबंध के आधार पर माना जाता है।

12.3.2 लोक बनाम निजी कानून

लोक कानून	निजी कानून
यह अधिकतर उन मुद्दों पर कार्य करता है जो जन साधारण (वह व्यक्ति, नागरिक या निगम हो सकता है) या स्वयं राज्य को प्रभावित करते हैं।	यह निजी व्यक्तियों या निगमों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ही अधिक ध्यान केन्द्रित करता है।
इसलिए, लोक काननू अधिकार से संबंधित व्यक्ति अनिवार्य रूप से असमान होते हैं क्योंकि उनमें से एक सदैव अत्यधिक असामान्य व्यक्ति होता है, जिसे राज्य कहते हैं।	निजी कानून अधिकार में संबंधित दोनों व्यक्ति नियमों के रूप में सटीक रूप से समान तथा सामान्य प्रकार के होते हैं, जिसके लिए किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं होती है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लोक कानून से संबंधित अधिकतर अधिकारों का लाभ स्थायी रूप से राज्य द्वारा समवाय रूप से अपने विषयों के विरूद्ध भार के व्यक्ति के रूप में उठाया जाता है।	इसके विपरीत निजी कानून में जो व्यक्ति आज प्रसतुत विवरण के अधिकार के संदर्भ में समवाय का व्यक्ति है, वघ्ह संभवत कल सटीक रूप से समान अधिकार के संदर्भ में भार का व्यक्ति बन जाएगा।
लोक कानून में राज्य केवल मध्यस्थ नहीं होता बल्कि एक हितधारी पक्ष भी होता है। अधिकार और दायित्व जिन पर वह कार्य करता है,वे एक भाग के रूप में स्वयं सं संबंधित है और दूसरे भाग के रूप में उसके विषय से संबंधित।	निजी कानून में यद्यपि, राज्य उपस्थित होता है, किन्तु वह मात्र अधिकारों और दायित्वों के मध्यस्थ के रूप में उपस्थित होता है, जो इसके विषयों में से एक तथा अन्य के बीच में विद्यमान होता है।
लोक कानून सरकार की संरचना, अधिकारियों के दायित्वों तथा शक्तियों और व्यक्ति तथा राज्य के बीच के संबंध से संबंधित है। ''इसमें संविधानिक कानून, प्रशासनिक कानून जन-सुविधाओं का विनियमन, आपराधिक कानून और प्रक्रिया तथा राज्य और उसकी राजनीतिक उपप्रभागों की प्रोप्राइटरी शक्तियों से संबंधित नियम शामिल हैं।''	निजी कानून व्यक्तियों (जैसे क्षतियों या निजी हानियों, संविदाओं, सम्पत्तियों, वसीयतों, प्राकृतिक, विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण आदि) के बीच के संबंधों को शासित करने वाले मौलिक तथा प्रक्रियात्मक दोनों नियमों से संबंधित है।

क्रियाकलाप 12.3

नीचे दिए गए बॉक्सों में लोक तथा निजी कानून के बीच के किन्हीं दो अंतरों को लिखें।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 12.3

1. हित सिद्धांत क्या है?

12.4 कानून का आकार प्रदान करने में न्यायाधीशों की भूमिका

सामान्य कानून (Comman Law) सामान्यत् विधिक नियमों और अधिनियमों के वृहत समेकन से असंहिताबद्ध है। हालांकि सामान्य कानून अनेक छितरे हुए अधिनियमों, जो विधायी निर्णय हैं, पर आश्रित रहता है, किनतु यह व्यापक स्तर पर पूर्ण निर्णय पर आधारित होता है अर्थात न्यायिक निर्णय जो कि समान प्रकार के मामलों में पहले ही दिए जा चुके हैं। प्रत्येक नए मामले के निर्णय में पूर्ववर्ती निर्णयों को लागू किए जाने का निर्धारण संचालन न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, अमरीकी तथा ब्रिटिश कानून का आकार प्रदान करने में न्यायाधीशों की व्यापक भूमिका है। (सामान्य कानून तथा सिविल कानून परम्पराएं)

बर्नार्ड रडन ने उल्लेख किया है कि सामान्य कानून का प्रमुख सृजन न्यायपालिका है। तथापि, सिविल-कानून प्रणाली (संहिताबद्ध) में, कम से कम विगत हाल तक, न्यायाधीशों ने अपने समक्ष उपस्थित विवादों के निपटान में तुलनात्मक दृष्टि से कम भूमिका अदा की है। सिविल कानून समूह केदेशों में स्थिति, परिसिंपत्ति और व्यवसाय के इन तीन क्षेत्रों को परिवार कानून, सिविल कानून (इस शब्द को संकूचित अर्थ में प्रयोग करते हुए) तथा वाणिज्यिक कानून की पृथक सहिंताओं से निपटाया जाता है। सामान्य कानून संसार में मौलिक प्रणाली का निर्धारण मामला कानून द्वारा किया जाता है, हालांकि अनेक आधुनिक विनियम विद्यमान हैं जो प्राय : न्यायाधीशों के कार्य को पुनरूनिर्धारित और सुव्यवस्थित करते हैं। पूर्ववर्तिता का सिद्धांत सामान्य कानून प्रणाली का प्रचालन नियम है, इसप्रकार, नियम स्वयं विधायक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।यह एक न्यायिक सृजन है और इसे इसके निर्माताओं द्वारा संशोधित और रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में, 19वीं शताब्दी में उच्चतम न्यायालय (दि हाउस ऑफ लार्डस) ने घोषित किया था कि वह अपने स्वयं के पूर्व निर्णयों द्वारा निर्मित कानूनों से बाध्य है और 1960 के दशक में उसने नियमों में परिवर्तन किया और यह नोटिस दिया कि वह अब अपने विचारों को परिवर्तित करने के लिए मुक्त है। तथापि, कानून के मामले में निचली अदालतें उच्चतर अदालतों के निर्णयों से बाध्य हैं।

न्यायाधीशों की भूमिका पर बात करते हुए 8 दिसंबर, 1908 को यूनाइटिड स्टेट्स (USA) की कांग्रेस के समक्ष अपना संदेशा प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रपति रोजेवेल्ट ने कहा कि : ''हमारे देश में प्रमुख कानून निर्माता प्राय : न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि क्योंकि उन्हें अंतिम प्राधिकरण प्राप्त है। हर बार जब वे संविद, संपत्ति, निहित अधिकारों, कानूनकी विधिवत प्रक्रिया, स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं, वे अनिवार्य रूप से सामाजिक दर्शन की प्रणाली के कानूनी भागों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार, व्याख्यान मौलिक है किन्तु वे सभी विधि निर्माणों को निर्देश देते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर न्यायालयों के निर्णय उनके आर्थिक और सामाजिक दर्शन पर निर्भर करते हैं और बीसवीं सदी के दौरान हमारे लोगों की शांतिपूर्वक प्रगति के लिए हमे उन अधिकतर न्यायाधीशों का आभारी रहना चाहिए जो बीसवीं सदी के आर्थिक और सामाजिक

दर्शनपर कार्य करते थे न कि परंपरागत दर्शन पर जो स्वयं रूढिवादी आर्थिक परिस्थितियों का उत्पाद था।''

डाइसी का मानना या कि न्यायालयों को न्यायाधीशों के रूप में कार्य करना चाहिए न कि मध्यस्थों के रूप में, और न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पूर्ववर्ती निर्णयों का अनुसरण करे। हालांकि सीमित स्तर तक इसे सभी सभ्य देशों ने स्वीकार किया है और किसी अन्य महाद्वीप, यहां तक कि किसी अन्य मौजूदा राष्ट्र की तुलना में इंग्लैंड में इसे अधिक पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। डाइसी के अनुसार, न्यायाधीशद्वारा निर्मित कानून वास्तविक कानून है, हालांकि यह विधिवेत्ता के रूप में निर्मित होता है, मात्र कानून की व्याख्या के रूप में, जैसा कि प्राय : न्यायाधीशों द्वारा उल्लेख किया गया है। हालांकि, न्यायाधीशों/ अदालतों की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं : (क) वह कानून के नए सिद्धांत की मुक्त रूप से घोषणा नहीं कर सकता है : इसे अनिवार्य रूप से किसी कानूनी सिद्धांत के भाग के रूप में होना चाहिए जिससे उसकी वैद्यता स्वीकार की जाए या किसी सांविधिक अधिरियमनके अनुप्रयोग या व्याख्यान के रूप में होना चाहिए। वह सांविधिक कानूनका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। (ग) न्यायालय, व्याख्यान की प्रक्रिया के माधयम से अप्रत्यक्ष रूप से अधिनियम के प्रचालन को सीमित या संभवत् विस्तारित कर सकते हैं किन्तु वे अधिनियम को अलग नहीं रख सकते हैं। वह स्वयं की प्रकृति से न्यायाधीश निर्मित कानून के किसी सिद्धांत का उल्लंखन नहीं कर सकता है। निसंदेह, उच्चतम न्यायालय कानून के ऐसे किसी सिद्धांत को खारिज कर सकता है, मात्र निचली अदालत के निर्णयों से उसके प्राधिकार को नियंत्रित करती है।

हार्ट यह स्वीकार करते हैं कि ''कठोर मामलों'' में न्यायाधीश कानून का निर्माण करते हैं चूंकि निर्णयों तक पहुंचने में, मान्यता के नियम के कारण, व्यापक विवेक प्राप्त होता है : यदि वहां किसी प्रकार का ''ऐसिड टेस्ट'' है, जिसके द्वारा न्यायाधीश यह निर्णय लेने में सक्षम हैं कि वैद्य कानूनी नियम क्या हें, तब जहां लागू कानूनी नियम उपलब्ध नहीं हैं या नियम अनिश्चित या अस्पष्ट हैं तो ऐसे कठोर मामलों में 'इस अंतर को भरने' के लिए न्यायाधीशों के पास व्यापक विवेक होता है। निसंदेह न्यायाधीशों को विभिन्न स्रातों से मार्गदर्शान प्राप्त होता है किन्तु अंतत : वे अपने निर्णय को निष्पक्षता तथा न्याय की तथ्यात्मक अवधारणाओं पर आधारित रखते हैं। कई बार न्यायाधीश के मार्गदर्शान के लिए कोई स्रोत (नियम या पूर्व निर्णय) नहीं होता है और उसे आने सुदृढ विवेक तथा विधान का प्रयोग करना चाहिए।

कंस्टिट्यूशनल जस्टिस में टी.आर.एस एलन ने कहा था कि कानून के नियम से अभिप्राय सभी सामान्य कानून विधिक प्रणालीयों में अंतर्निहित सिद्धांत है जिनका प्रयोग न्यायाधीश सरकार को, या यहां तक कि विधान, क्रिया को अक्षम करने करते हैं। लॉ, लिबर्टी और जस्टिस में एलन ने दावा किया है कि कानून का नियम एक विधिक सिद्धांत है, एक वास्तविक विधिक नियम जिसे कॉमनवेल्थ न्यायालयों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है या किया जाना चाहिए और इस मामला कानून की जांच के माधयम से समझा जाना चाहिए।

दूसरी ओर, टोम्किन्स का विचार है कि न्यायालयों की भूमिका मात्र संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं की चौकसी करना है। कार्यकारी निर्णय-निर्धारण की तर्कसंगतता की समीक्षा कॉमन्स पर छोड़ देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, टी.पूले दावा करते हैं कि, न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक समीक्षा, नीति

टिप्पणी

के संबंध में चर्चाओं के लिए प्रधान मंच के रूप में विधानमंडल में राजनीतिक चर्चा को वैध रूप से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। व्यापक स्तर के दृष्टिकोणों और विभिन्न हितों को समाहित करने के लिए विधानमंडल न्यायालयों की तुलना में अधिक बेहतर स्थिति में हैं। और, हम यह भी कह सकते हैं कि विधानमंडल सामाजिक समस्याओं के सुव्यवस्थित समाधान उत्पन्न कर सकते हैं – न्यायिक प्रक्रिया सामान्य रूप से कानून में धीमें, वृद्धात्मक, परिवर्तन प्रदान कर सकती है।

तथापि, यहां हम यह चर्चा नहीं करेंगे कि न्यायाधीश कानून के निर्माता हैं या नहीं, किन्तु निसंदेह वे कानून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। भारत में, कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहां न्यायालय के निर्णयों के परिणामस्वरूप कानून का निर्माण हुआ है। 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)' में, उच्चतम न्यायालय ने कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न के विरूद्ध दिशानिर्देश तथा नियम निर्धारित किए हैं और यौन उत्पीड़न को समानता के महिलाओं के मौलिक अधिकारों के हनन के रूप में निर्धारित किया है। न्यायालय ने बल दिया कि इसे लैंगिक समानता का समर्थन करते हुए बाध्यकारी कानून के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। 'इंदिरा । साहनी (1992)', तथा इंदिरा साहनी ।। (2000) 1 एससीसी 168 – इन दो मामलों यह कानून घोषित किया गया था कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए जाति एकमात्र आधार नहीं होगा। उन वर्गों के प्रबुद्ध लोग (क्रीमी लेयर) जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सम्पन्न थे वे पिछले वर्ग में नहीं आ सकते चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हों। 'राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार' मामले में, उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि लोग स्वयं बोल या अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे जानते न हों। इसलिए, अनुच्छेद 19 में सूचना के अधिकार को अन्तरूस्थापित किया गया और यह एक मौलिक अधिकार है। 'पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीस (पीयसीएल) तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (2002) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद तथा विधानमंडल के चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों से संबंधित मौलिक जानकारी संबंधी सूचना प्राप्त करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संवर्धन मिलेगा और इसलिए, अब सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19द्ध1ऋ(क) का एक अभिन्न अंग है। तथापि, यह सूचना का अधिकार गुणात्मक रूप से सार्वजनिक मामलों मे सूचना प्राप्त करने के अधिकार या प्रेस तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माधयम से सूचना प्राप्त करने के अधिकार से भिन्न है, हालांकि कतिपय स्तर तक ये अतिव्यापी हैं।

? क्या आप जानते है

विरोधात्मक प्रणाली और परीक्षणात्मक प्रणाली के रूप में सामान्य कानून के कार्यों का अनुसरण सिविल कानून प्रणाली में किया जाता है। विरोधात्मक प्रणाली से तात्पर्य दो विपरीत पक्षों के बीच विवाद है जो अपना मामला एक निष्पक्ष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसे यह सुनिश्चित करना होता है कि मुकदमा मुकदमे के प्रक्रियात्मक नियमों के अनुसार चले या कानून की विधिवत प्रकिया से चले और प्रस्तुत साक्षयों को स्थापित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार देखा जाए। अधिकतर देश जिन्होंने अपनी कानूनी प्रणाली को इंगलिश मॉडल से प्राप्त किया है वे विरोधात्मक विधिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। परीक्षणात्मक प्रणाली में न्यायाधीश पुलिस के

साथ साक्षय का तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होता है और यह देखता है कि किस प्रकार विभिन्न पक्ष मुकदमे में अपने मामले को प्रस्तुत करेंगे। परीक्षणात्मक प्रणाली में न्यायाधीश प्रोसिक्यूटर की भूमिका अदा करता है। परीक्षणात्मक प्रणाली में कोई जूरी मुकदमा नहीं होता है और न्यायाधीश दोशी को बयान देनेतथा प्रशनों के उत्तर देने के लिए बाध्य कर सकता है। यह अपने स्वयं की रक्षा में अपना पक्ष नर रखने के अधिकार के निर्णयज कानून तथा विरोधात्मक अधिकार से भिन्न है।

पाठगत प्रश्न 12.4

1. क्या आप मानते हैं कि न्यायाधीश भी कानून का निर्माण करते हैं? (हाँ/नहीं)
2. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि न्यायालय का दायित्व पूर्ववती निर्णयों का अनुसरण करना है? (हाँ/नहीं)

आपने क्या सीखा

किसी भी कानूनी व्यवस्था में विधिशास्त्रीय सिद्धांतों की उत्पत्ति अधिकारों के परिप्रेक्ष में होती है और कानून समादेश के रूप में व्यक्तियों के बीच के संबंध तथा व्यक्ति और सरकार के बीच के संबंध को विनियमित करता है।

जन कानून विधि का वह भाग है जो राज्य (सरकार/सरकारी एजेंसियों) और उसके विषय के बीच के संबंधों तथा समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के बीच के संबंधों को भी शासित करता है।

निजी कानून व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ संबंध या नागरिकों और कंपनियों के बीच निजी संबंधों से संबंधित है जो कि लोक महत्व के नहीं हैं । यह विशुद्धस्थिति (विवाह, तलाक, रिश्तेदारी आदि); किसी प्रकार की परिसंपत्ति के मामलों (संपत्ति, उत्तराधिकार, संविदाओं) तथा व्यापक अर्थ में वाणिज्यिक गतिविधियों के मुद्दों को शामिल करता है।

पाठांत प्रश्न

1. लोक कानून के अर्थ और प्रकृति का वर्णन करें।
2. निम्नलिखित विषयों पर नोट लिखें :

   (क) संविधानिक कानून

   (ख) प्रशासनिक कानून
3. लोक तथा निजी कानून में अंतर बताएं।
4. कानून को आकार देने में न्यायाधीश क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? चर्चा करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

12.1

1. आपराधिक कानून कानून, का वह निकाय है जो अपराध से संबंधित है। यह उन अधिनियमों की व्याख्या करता है जो लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक कल्याण के लिए नुकसान करता है, हानि पहुंचाता है या अन्यता खतरा उत्पन्न करता है। यह ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दंड का भी प्रावधान करता है।
2. प्रशासनिक कानून वह रूप है जिसका सृजन प्रशासनिक एजेंसियों ने विनियमों, आदेशों और निर्णयों के रूप में किया है।

12.2

1. सर्वबंधी आनुवांशिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी गलत कृत्य के होने के बावजूद, आकस्मिकता के व्यक्ति के प्रति समवाय के व्यक्ति के लाभ के लिए ऐसे असीमित रूप से ये अधिकार प्राप्त होंगे जो सम्पूर्ण विश्व को प्राप्त हैं जबकि व्यक्ति बंधी अधिकार वे अधिकार हैं जो एक विशिष्ट व्यक्ति के विरूद्ध प्राप्त होते हैं जो पक्षों के करार या कानून द्वारा प्रदान दायित्व के कारण उत्पन्न हुए हों।
2. निजि गुणात्मक कानून उस माधयम के लिए प्रावधान प्रस्तुत करताहै जिसमें राज्य एक व्यक्ति के रूप में मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।

12.3

1. रोम के न्यायशास्त्री उल्पेन द्वारा विकसित हित सिद्धांत (Interest theory) केअनुसार लोक कानून वह है जो रोम राज्य से संबंधित है, निजी कानून नागरिकों के हितों से संबंधित हे।

12.4

1. हाँ
2. हाँ